



वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त परिषद)

डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून (उत्तराखंड)

आधिकारिक वेबसाइट: <https://fri.icfre.gov.in>

विज्ञापन

समूह-ग परीक्षा-2022

विज्ञापन संख्या. 1/FRI/GC/2022 दिनांक: 09/12/2022

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	20-12-2022 (12:00 AM)
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	19-01-2023 (11:59 PM)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण-I) की संभावित तिथि	फरवरी, 2023
वर्णनात्मक परीक्षा की तिथि (चरण-II)	बाद में सूचित किया जाएगा
स्किल/ट्रेड टेस्ट की तिथि (चरण-III)	बाद में सूचित किया जाएगा

निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

क्रम सं.	पद का नाम	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर	पदों की संख्या	समूह	वर्ग						शैक्षणिक अर्हता	आयु
					अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.क.व.	कुल		
1.	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)	स्तर -3	23 (02-पूर्व सैनिक और -01-दिव्यांग पद सहित)	-	10	02	02	02	07	23	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ विज्ञान में 10+2 या समकक्ष।	18 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक नहीं
2.	तकनीशियन (रखरखाव)	स्तर-2	06	सूचना प्रौद्योगिकी	02	01	-	-	-	03	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक सहित संबन्धित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स	18 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक नहीं
				इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	01	-	-	-	01			
				पंप ऑपरेटर-सह-मैकेनिक	-	01	-	-	01	02		
3.	तकनीकी सहायक (पराचिकित्सा)	स्तर-5	07 (01-पूर्व सैनिक एवं पुरुष-01)	स्टाफ नर्स (महिला-01 एवं पुरुष-01)	02	-	-	-	-	02	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	21 वर्ष से कम या 30

			सहित)								संबन्धित क्षेत्र / विशेषज्ञता या समकक्ष में विज्ञान में स्नातक की उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का डिप्लोमा / डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबन्धित क्षेत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा।	वर्ष से अधिक नहीं
				फार्मासिस्ट	-	-	01	-	01	02		
				फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	-	01	-	-	-	01		
				प्रयोगशाला तकनीशियन	-	01	-	-	-	01		
				रेडियोग्राफर	01	-	-	-	-	01		
4.	अवर श्रेणी लिपिक	स्तर-2	05		03	-	01	01	-	05	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र. (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या मैनुअल टाइप राइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं
5.	वन रक्षक	स्तर-2	02	-	01	-	-	-	01	02	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं पास शारीरिक मानक पुरुष :	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं

											<p>(i) चलना: 4 घंटे में 25 कि.मी</p> <p>(ii) लंबाई : न्यूनतम 165 सेमी</p> <p>(iii) छाती: बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी</p> <p>महिला :</p> <p>(i) चलना: 4 घंटे में 14 कि.मी</p> <p>(ii) लंबाई: न्यूनतम 150 सेमी</p> <p>(iii) छाती: बिना फुलाए 74 सेमी और फुलाकर 79 सेमी</p> <p>टिप्पणी: नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।</p>	
6.	आशुलिपिक ग्रेड II	स्तर-4	01	-	01	-	-	-	-	01	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास प्रमाण पत्र</p> <p>(ii) अंग्रेजी / हिंदी में आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति</p> <p>(iii) कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स – प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की टंकण</p>	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं

											गति	
7.	भंडार पाल	स्तर-3	02	-	01	-	-	-	01	02	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं
8.	चालक सामान्य ग्रेड	स्तर-2	04	-	02	01	-	-	01	04	अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक। (2) मोटर गाड़ियों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना। (3) मोटर गाड़ी चलाने का 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव। वांछनीय: मोटर मैकेनिक संबंधी ज्ञान (उम्मीदवार को वाहनों की मामूली खराबी ठीक करनी आनी चाहिए)	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं
9.	बहु कार्य कर्मी	स्तर-1	22 (02-पूर्व सैनिक और - 01- दिव्यांग पद सहित)	-	10	05	01	02	04	22	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त बोर्ड / स्कूल से 10वीं कक्षा पास। वांछनीय: संबन्धित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव	18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं
		कुल	72		34	12	05	05	16	72		

टिप्पणी:-

1. पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. सभी पदों के लिए निर्धारित योग्यता अनिवार्य है।
3. दिव्यांग/पूर्व सैनिक/खिलाड़ियों के रिक्त पदों को पहले भरा जाएगा और संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया जाएगा।
4. तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान) के 01 दिव्यांग पद में OL, OA, BH, D, H & PD प्रकार की विकलांगता शामिल हैं तथा बहु कार्य कर्मी के 01 दिव्यांग पद में BL, BA, OL, OA, BH, MW, PB, D, H, PD और ID प्रकार की विकलांगता शामिल हैं।

संक्षिप्त रूप: BL- दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं, BA- दोनों हाथ प्रभावित (a) दुर्बल (b) पकड़ की कमजोरी, OL- एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां), OA- एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां) (a) अक्षम (b) पकड़ की कमजोरी (c) गतिभंग, BH- स्टिफ पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते), MW- मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति, IC- संचालन समन्वय में सामान्य, PB-आंशिक रूप से अंधा, D- बधिर, H- श्रवण हास, PD- आंशिक रूप से बधिर, ID-बौद्धिक अक्षमता।

चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

A. चरण-I : कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी)

क्रम सं.	पद नाम	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	न्यूनतम अंक	ऋणात्मक अंक	अवधि (घंटों में)
1.	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)	(i) बुनियादी विज्ञान (ii) अंकगणित (iii) मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) सामान्य जागरूकता (v) सामान्य अंग्रेजी	20 20 20 20	100	सामान्य- 50 आ.क.व.- 50 अ.जा. - 40 अ.ज.जा. - 40 अ.पि.व.- 40		3 घंटे (मस्तिष्क पक्षाघात और लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित वीएच/ओएच के लिए 3 घंटे और 40 मिनट जिसमें अंत तक प्रभावी लेखन प्रभावित होने के कारण कार्य निष्पादन धीमा हो जाता है।)
2.	तकनीशियन (रखरखाव)	(i) संबन्धित क्षेत्र (ii) अंकगणित (iii) मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) सामान्य जागरूकता (v) सामान्य अंग्रेजी	20 20 20 20				
3.	तकनीकी सहायक (पराचिकित्सा)	(i) संबन्धित विषय (ii) अंकगणित (iii) सामान्य जागरूकता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान	40 20 20 20	100	दिव्यांग (सा. एवं आ.क.व.)- 45 दिव्यांग (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) - 40		
4.	अवर श्रेणी लिपिक	(i) संख्यात्मक योग्यता (ii) अंग्रेजी भाषा (iii) सामान्य जागरूकता (iv) सामान्य बुद्धि	25 25 25 25	100			2 घंटे (मस्तिष्क पक्षाघात और लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित वीएच/ओएच के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिसमें अंत तक प्रभावी लेखन प्रभावित होने के कारण कार्य निष्पादन धीमा हो जाता है।)
5.	वन रक्षक	(i) वानिकी से संबन्धित सामान्य विज्ञान (ii) गणित और तर्कशक्ति (iii) सामान्य जागरूकता (iv) अंग्रेजी	40 25 25 10				
6.	आशुलिपिक ग्रेड II	(i) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (ii) सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति परीक्षण (iii) सामान्य जागरूकता	50 25 25	100	अना.- 40 आ.क.व.- 40 अ.पि.व.- 40 अ.जा. - 33 अ.ज.जा. - 33		
7.	भंडार पाल	(i) संख्यात्मक योग्यता (ii) सामान्य जागरूकता (iii) सामान्य बुद्धि (iv) अंग्रेजी भाषा	25 25 25 25	100	दिव्यांग - 33		
8.	चालक सामान्य ग्रेड	(i) संबन्धित क्षेत्र (ii) सामान्य जागरूकता (iii) मानसिक क्षमता और तर्कशक्ति (iv) सामान्य अंग्रेजी (v) अंकगणित	20 20 20 20	100			
9.	बहु कार्य कर्मी	(i) संख्यात्मक योग्यता (ii) सामान्य जागरूकता (iii) सामान्य बुद्धि और	25 25	100			

	तर्कशक्ति परीक्षण (iv) सामान्य अंग्रेजी	25				
		25				

- (a) सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिल्ली (एनसीआर) और/या उत्तराखंड में निम्नलिखित अनुसार आयोजित की जा सकती है:

पहले दिन	पाली - 1	ब.का.क. (क्रम सं. 09)
	पाली - 2	अ.श्रे.लि. (क्रम सं. 04)
दूसरे दिन	पाली - 1	तकनीशियन(क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)(क्रम सं. 01)
	पाली- 2	(1) आशुलिपिक ग्रेड II (क्रम सं. 06) (2) तकनीशियन(रखरखाव) (क्रम सं. 02)
तीसरे दिन	पाली - 1	(1) वन रक्षक (क्रम सं. 05) (2) तकनीकी सहायक (पराचिकित्सा) (क्रम सं. 03)
	पाली - 2	(1) भंडार पाल (क्रम सं. 07) (2) चालक सामान्य ग्रेड (क्रम सं. 08)

टिप्पणी: एफआरआई द्वारा किसी भी दो या दो से अधिक पदों के लिए परीक्षा की तारीख/समय में किसी भी टकराव की स्थिति में परीक्षा की तारीख/समय/केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह तय करना होगा कि वे किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

- (b) उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और टाई के मामले में अन्य लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (c) सीबीटी परीक्षा में समान अंक/टाई की स्थिति में योग्यता-क्रम का निर्धारण विभिन्न उप-वर्गों में क्रमिक क्रम में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, उप-खंड (i) को उप-खंड (ii) की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। यदि फिर भी समानता बनी रहती है तो भी ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को उनकी जन्म तिथि के अनुसार उच्च योग्यता-क्रम पर रखा जाएगा।
- (d) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीबीटी में उनके अंक के आधार पर वर्णनात्मक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा (प्रत्येक विज्ञापित श्रेणी के पद के लिए रिक्तियों की संख्या का 05 गुना)।

B. चरण-II : वर्णनात्मक परीक्षण

विषय	अधिकतम अंक	अवधि	न्यूनतम योग्यता अंक
एक लघु निबंध (लगभग 300 शब्दों में) और एक पत्र/आवेदन (इनमें से कोई एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में होना चाहिए)	50 (25+25)	45 मिनट	अधिकतम अंक के 50%

- (a) वर्णनात्मक परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी और इसका उद्देश्य गुप-सी पदों के लिए आवश्यक बुनियादी भाषाई कौशल का परीक्षण करना है।
- (b) सभी पदों के लिए वर्णनात्मक परीक्षा देहरादून में ही होगी जो कि लिखित परीक्षा होगी जिसमें अभ्यर्थियों को एक लघु निबंध और एक पत्र/आवेदन लिखना होगा।
- (c) अभ्यर्थियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उत्तर पुस्तिका के अंदर नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, पता आदि नहीं लिखना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति को अनुचित साधन (यूएफएम) माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिए जाएंगे और उनकी अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी।

C. चरण-III: स्किल/ट्रेड परीक्षण

पद क्रम संख्या	पद नाम	परीक्षण के प्रकार
क्रमांक 1	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)	लागू नहीं
क्रमांक 2	तकनीशियन (रखरखाव)	स्किल/ट्रेड परीक्षण
क्रमांक 3	तकनीकी सहायक (पराचिकित्सा)	स्किल/ट्रेड परीक्षण
क्रमांक 4	अवर श्रेणी लिपिक	कंप्यूटर या मैनुअल टाइपराइटर पर टंकण परीक्षण
क्रमांक 5	वन रक्षक	शारीरिक मानक सत्यापन के उपरांत 04 घंटे में पुरुषों के लिए 25 किमी और महिलाओं के लिए 14 किमी चलना
क्रमांक 6	आशुलिपिक ग्रेड II	आशुलिपि परीक्षण

क्रमांक 7	भंडार पाल	लागू नहीं
क्रमांक 8	चालक सामान्य ग्रेड	स्किल/ट्रेड परीक्षण
क्रमांक 9	बहु कार्य कर्मी	लागू नहीं

स्किल/ट्रेड टेस्ट केवल अर्हक प्रकृति का होगा और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो वर्णनात्मक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे तथा उसके उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वर्णनात्मक और कौशल/ट्रेड में (जहां भी लागू हो) अर्हता प्राप्त करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता-क्रम सीबीटी में उनकी योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी (जैसा कि ऊपर उल्लेखित टाई ब्रेकिंग नियम के अनुसार)।

सामान्य निर्देश

1. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि उनके पास इस विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और अनुभव आदि हैं। निर्धारित योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड/ संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए।
2. आवेदक प्रस्तुत किए गए सूचना / दस्तावेजों और फोटोग्राफ की सत्यता की जानकारी हेतु स्वयं उत्तरदाई होगा। अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व है कि वह इस विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थित पद (पदों) हेतु अपनी पात्रता का स्वयं आकलन कर लें। यदि भविष्य में किसी भी समय चयन की प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति के बाद भी यह पता लगता है कि उम्मीदवार संस्थान के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, जो कि चयन के समय पता नहीं लगाया जा सका, जो भी कारण हो, तो उसके कारण उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति तुरंत रद्द/समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
3. उपरोक्त सभी पद भा.वा.अ.शि.प. वेतनमान के अनुसार हैं और भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद /वन अनुसंधान संस्थान में नियुक्त परिषद के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया, परिवहन और संतान शिक्षा जैसे भत्तों के अनुरूप होंगे।
4. इन पदों को भारत सरकार की नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत समाहित किया जाएगा और सरकार / संस्थान के मानदंडों के अनुसार उनके आश्रित चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत आदि जैसे अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे।
5. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है, लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने के लिए संस्थान को लिखता है तो आवेदन जमा करने के बाद इस तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. संबंधित श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भारत सरकार के आदेशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं तथा उनके दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र हैं।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में उनकी जाति अ.पि.व. की केंद्रीय सरकार सूची में होनी चाहिए और उन्हें नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में होना चाहिए। प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैध होना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए।
8. शारीरिक रूप से दिव्यांग / पूर्व सैनिक आवेदकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह छूट के हकदार हैं और उनके दावे के समर्थन में उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैध प्रमाण पत्र / दस्तावेज उपलब्ध हैं। प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए।
9. आयु में छूट
 - a) अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) के लिए आयु में छूट, जहां भी लागू हों, स्वीकार्य होंगे।
 - b) सभी अभ्यर्थी चाहे किसी भी समुदाय के हो यदि वे अनारक्षित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें अनारक्षित रिक्तियों हेतु पात्र माना जाएगा। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल/आ.क.व.) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल उस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।
 - c) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, जो कि आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व जारी होना चाहिए, प्रस्तुत करना होगा।
 - d) इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल अभ्यर्थियों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.93 एवं इसके बाद के संशोधन का.जा.सं. 36033/3/2004-स्थापना (आर.) दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के माध्यम से तथा यदि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि तक कोई संशोधन प्राप्त होता है तो प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्ति / श्रेणी (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस सूचना में उल्लेखित पदों के लिए आवेदन करते समय अ.पि.व. - नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रारूप में वैध अ.पि.व. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी प्रमाण पत्र (अ.पि.व. - नॉन क्रीमी लेयर) के अलावा यदि आवश्यक हो तो सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं

है, अन्यथा, आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी / आवेदन आदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनका केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में माना जाएगा।

- e) का.प्र.वि. के का.जा.सं. 36039/1/2019-Estt (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.) के लिए आरक्षण: वे अभ्यर्थी थे जो अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु.8.00 (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। आय की गिनती में आवेदन के वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी और वह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैध होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति है या वह उसके मालिक हैं, उनके पारिवारिक आय के बावजूद, उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा:
- 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि
 - 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।
- f) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा अपने अधिकार में रखी गई संपत्ति को संयोजित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे आरक्षण का लाभ चाहिए तथा इसमें उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, जीवनसाथी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी सम्मिलित होंगे।
- g) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:
- जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी।
 - राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, और
 - उस क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां के उम्मीदवार और/ या उसका परिवार निवासी हैं।
- h) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस सूचना में उल्लिखित आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के पालन न करने पर, आ.क.व. के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/ आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।
- अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल/आ.क.व. से संबंधित अभ्यर्थी जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी/ व्यवसायिक अर्हताओं को पूरा करते हैं, वे भी अनारक्षित रिक्तियों में आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि, उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और वह आयु में छूट सहित किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - इस सूचना हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि तक ही समुदाय/ आ.क.व. की स्थिति के आरक्षण का लाभ, यदि योग्य हो, लेने के लिए विचार किया जाएगा और उसके उपरांत अभ्यर्थी के समुदाय/ आ.क.व. की स्थिति में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. एक अभ्यर्थी समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा जबकि अभ्यर्थी जिस जाति का है, वह आवेदन करने की अंतिम तिथि पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो।
11. एक बार जब एक अभ्यर्थी किसी एक आरक्षित श्रेणी का चयन कर लेता है तो अन्य आरक्षित श्रेणी में बदलाव जैसे कि अ.जा. से अ.ज.जा., अ.ज.जा. से अ.जा., अ.पि.व. से अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. से अ.पि.व., अ.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.जा., अ.ज.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.ज.जा., अ.पि.व. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.पि.व. या अन्य किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी दुर्भाग्य से शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता के पक्ष में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिससे कि उन्हें पीडब्ल्यूबीडी कोटा के तहत आरक्षित पदों के लिए पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण का लाभ मिल सके।
13. भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीति निम्न प्रकार है

वर्ग	आयु में छूट
अ.जा./अ.ज.जा.	केवल आरक्षित पदों के लिए 5 वर्ष

अ.पि.व.	केवल आरक्षित पदों के लिए 3 वर्ष
न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगता की संबन्धित श्रेणी के लिए 10 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 15 वर्ष और अ.पि.व. के लिए 13 वर्ष)
पूर्व सैनिक / दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मिक	समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' के पदों के लिए नौ सेना /थल सेना और वायु सेना में की गई सेवा की अवधि +3 वर्ष अनुसूचित) अनुसूचित जनजाति से संबंधित/जातिदिव्यांग रक्षा सेवा कर्मियों के लिए 8 वर्ष(भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष)
केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार 3 वर्ष से अधिक की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है	40 वर्ष की आयु तक
केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी (अ.जा./अ.ज.जा.) जिन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार 3 वर्ष से अधिक की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है	45 वर्ष की आयु तक
विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उनके लिए	35 वर्ष की आयु तक
अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उनके लिए	40 वर्ष की आयु तक
भा.वा.अ.शि.प. स्थाई कर्मचारी	क्र.सं. 01, 02 और 03 के पदों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और अन्य सभी पदों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है

14. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखना चाहिए और दस्तावेज सत्यापन के समय अपलोड किए गए वही दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की स्कैन की हुई (डिजिटल) प्रति अपलोड करनी चाहिए।
16. फोटोग्राफ नवीन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, फोटो के पृष्ठभूमि का रंग हल्का, मुख्यतः सफेद होना चाहिए। फोटो खींचते समय शांत मुद्रा में सीधे कैमरे की ओर देखें।
17. आवेदक को सफेद कागज पर काली/नीली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर केवल आवेदक के होने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति के। यदि किसी भी स्तर पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के वास्तविक हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक की उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जा सकती है। कृपया हस्ताक्षर वाले हिस्से को ही स्कैन करें पूरे पृष्ठ को नहीं।
18. यदि उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
19. अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अ.पि.व. / आ.क.व. / दिव्यांग श्रेणी के दावे या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
20. सभी पद अस्थायी प्रकृति के हैं लेकिन आगे भी जारी रहने की संभावना है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत अभ्यर्थियों की नौकरी की पुष्टि निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।
21. दर्शाई के पदों की संख्या संस्थान की आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है।
22. संस्थान को विज्ञापित पद ना भरने एवं किसी भी या सभी आवेदनों को बिना किसी कारण बताएं अस्वीकार करने का अधिकार है।
23. कोई पद पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत आरक्षित न होने पर भी उपयुक्त अभ्यर्थी पाए जाने पर रिक्त पद शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी (दिव्यांग व्यक्ति) के आवेदकों से भी भरे जा सकते हैं ।
24. सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान एजेंसियों में काम करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन उचित माध्यम द्वारा ही प्रेषित करना चाहिए और इसके साथ सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित एक बेबाकी प्रमाण पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक (यदि चयन हो) को नियुक्ति आदेश पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के समय उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (फॉर्म भरने के समय अपलोड किया गया) जमा करना आवश्यक होगा, जिसमें विफल होने पर अभ्यर्थी को पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
25. अभ्यर्थियों की पात्रता, स्क्रीनिंग/ कौशल/ ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और वर्णनात्मक परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में सभी अभ्यर्थियों पर नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
26. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्थान की आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने के उपरांत ही होगी।

27. संस्थान नियुक्ति के समय या सेवा कार्यकाल के दौरान किसी भी समय किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत या दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली हैं या अभ्यर्थी के पूर्ववृत संदिग्ध/अस्वीकार्य योग्य पृष्ठभूमि के पाए जाते हैं और दी गई जानकारी को छिपाई जाती है, तो उसका /उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों/ कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
28. जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि एक से अधिक पदों के आवेदन के मामले में यदि अभ्यर्थी को दूरस्थ परीक्षा केंद्र मिलता है तो इसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी दो या दो से अधिक पदों के लिए परीक्षा तिथि/समय में किसी भी टकराव की स्थिति में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षा तिथि/समय/केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं।
29. इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट को संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
30. ऑनलाइन आवेदन केवल वन अनुसंधान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट <https://fri.icfre.gov.in> पर दिए गए लिंक से ही जमा किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवश्यक निर्देश ध्यान से पढ़ लें।
31. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण डिस्कनेक्ट/ एफआरआई वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता हो सकती है।
32. आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
33. विज्ञापित पद (पदों) के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा हालांकि जहां भी लागू हो वहाँ ट्रेड /कौशल परीक्षण आदि आयोजित किया जाएगा।
34. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा किए जाने के बाद किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. अनुवाद की अस्पष्टता, यदि कोई हो तो, को अंग्रेजी संस्करण से सुलझाया जाएगा।
36. केवल इस तथ्य से कि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), वर्णनात्मक या ट्रेड परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि एफआरआई द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), वर्णनात्मक या ट्रेड परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगता है या यदि विज्ञापन में दिए गए नियम और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेजों को किसी भी चरण में मांगने पर यदि निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वन अनुसंधान संस्थान इस आधार पर उम्मीदवारी रद्द होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
37. यदि आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी ने आयु में कोई छूट नहीं ली है और सीबीटी परीक्षा में अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं ली है तो योग्यता के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अ.जा./ अनु.ज.जा./ अ.पि.व./ आ.क.व. श्रेणी के अभ्यर्थी भी अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यदि आयु में कोई रियायत और योग्यता मानक में किसी भी छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के लिए पात्र होंगे।
38. **परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा की तिथि एवं समय:** अभ्यर्थियों को बाद में एफआरआई वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।
39. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश देने के लिए योग्यता या अन्य पात्रता निर्धारण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
40. अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी माध्यम से कोई भी प्रयास करने से उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
41. चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची तथा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), वर्णनात्मक परीक्षा, ट्रेड परीक्षण और शारीरिक परीक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी से संबंधित भविष्य के सभी पत्राचार संस्थान की वेबसाइट <https://fri.icfre.gov.in> पर अपलोड किए जाएंगे। वेबसाइट को समय-समय पर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी।
42. किसी भी प्रकार की संयाचना करने और/ या किसी भी राजनैतिक या अन्य दबाव बनाने से आवेदन किए गए पद हेतु अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।
43. किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। उक्त मामले पर किसी भी प्रकार की कोई अंतरिम पृच्छाछ/ पत्राचार/ संपर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
44. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग/ महिला आवेदकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उनके द्वारा केवल प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान किया जाना है।
45. सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क 1500/- रुपये (800 रुपये आवेदन शुल्क और 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क) और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग/ महिला आवेदकों के लिए 700/- रुपये (केवल प्रोसेसिंग शुल्क) निर्धारित की गई है।।
46. एक बार भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या पुनः समायोजित नहीं किया जाएगा।
47. परीक्षा केंद्र की जानकारी संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र में उपलब्ध होगी।
48. कानूनी विवाद, यदि कोई हो तो, वह उत्तराखंड राज्य के सक्षम न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा।

49. यदि अभ्यर्थी नीचे सूचीबद्ध किसी भी अनाचार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और उन्हें नीचे दी गई अवधि के लिए संस्थान की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	अनाचार के प्रकार	वर्जन अवधि
1.	परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष से परीक्षा संबंधी कोई सामग्री ले जाना या अनाधिकृत व्यक्तियों को देना	2 वर्ष
2.	परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल से जाना	2 वर्ष
3.	परीक्षा अधिकारियों अर्थात् पर्यवेक्षक, अन्वेषक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, डराना या धमकी देना	3 वर्ष
4.	परीक्षा के आयोजन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5.	गलत या असत्य बयान देना, भौतिक जानकारी को छुपाना, जाली दस्तावेज जमा करना आदि	3 वर्ष
6.	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त करना/प्रभाव डालना	3 वर्ष
7.	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना	3 वर्ष
8.	नियमों के विपरीत एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होना	3 वर्ष
9.	ऐसा अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी कार्य कर रहा हो	3 वर्ष
10.	परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना	5 वर्ष
11.	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में उपस्थित होना	5 वर्ष
12.	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्र / हथियार साथ लाना	5 वर्ष
13.	हमला करना, बल का प्रयोग करना, परीक्षा अधिकारियों अर्थात् पर्यवेक्षक, अन्वेषक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि को किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान पहुंचाना	7 वर्ष
14.	परीक्षा पदाधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों से डराना/धमकाना	7 वर्ष
15.	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना जैसे किसी कागज या शरीर के अंगों पर लिखना आदि	7 वर्ष
16.	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना	7 वर्ष
17.	प्रतिरूपण करना/किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना	7 वर्ष
18.	स्नैपशॉट लेना, प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना	7 वर्ष
19.	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स/लैन/वीएएन आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल से छेड़छाड़ करना	7 वर्ष
20.	परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी बिंदु पर परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास	7 वर्ष